न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

12 / 2023

श्री नासिर पुत्र श्री अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला चुडीगरान पुरानी टोंक राज0

---अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 05.07.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2023 को प्रेपित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 162-164 दिनाक 02.03.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत/प्रार्थना/आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2023 दिया गया। इसका कमांक 553 है। शिकायत /प्रार्थना/आवेदन पत्र पर अब तक किया कार्यवाही की गई सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 457 दिनांक 13.06.2023 व 485 दिनांक 22.06.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक /सामान्य/आर0टी0आई0/2023/4991 दिनांक 24.06.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 3358 दिनांक 20.03.2023 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)

प्रथम अपील अधिकारी

एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते राजस्थान